



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274728
CG-DL-E-23072026-274728

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3871]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3871]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026//SHRAVAN 1, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(संपदा निदेशालय)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2026

का.आ. 4041(अ).— भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, संपदा निदेशालय की अधिसूचना के अंग्रेजी पाठ में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 24 जून, 2026 में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3379(अ), तारीख 24 जून, 2026 द्वारा प्रकाशित हुई थी,—

- (क) "क्रम संख्या 36" के स्थान पर "क्रम संख्या 15" पढ़ें; और
- (ख) "सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40)" के स्थान पर "स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30)" पढ़ें।

[फा. सं. ओ-16016/2/2024-पॉलिसी 1-डीओई-डीआईआरईएसटी]

रवि कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS**(Directorate of Estates)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 23rd July, 2026

S.O. 4041(E).— In the English version of the notification of the Government of India, Ministry of Housing and Urban Affairs, Directorate of Estates published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 24th June, 2026 *vide* Notification number S.O. 3379(E) dated the 24th June, 2026, —

- (a) *for* “serial number 36” *read* “serial number 15”; and
- (b) *for* “the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971)” *read* “the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 (30 of 1952)

[F. No. O-16016/2/2024-Policy I-DoE-direst]

RAVI KUMAR ARORA, Jt. Secy.